बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 226343 पटना, दिनांक 01/04/15

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(रा0स्वा0बी0यो0)-102-09/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- इंदिरा आवास के लाभुकों तथा मनरेगा के जॉब कार्ड धारी मजदूरों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का स्मार्ट कार्ड बनाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास के लाभार्थियों के सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बीमा योजना से जोड़े जाने का प्रावधान पूर्व से ही रहा है । इसी क्रम में विभागीय पत्र संख्या-4320 दिनांक-28.05.09 की कंडिका-xiv(घ) में तत्समय इंदिरा आवास के लाभुकों को जनश्री बीमा, आम आदमी बीमा, आदि जीवन बीमा की योजनाओं एवं स्वास्थ्य बीमा योजना से भी जोड़ने का कार्य सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया था । किन्तु इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर तत्परतापूर्वक कार्रवाई नहीं की गयी और इसकी प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही ।

इंदिरा आवास योजना की नयी मार्गदर्शिका (जून, 2013) की कंडिका-6.8 (v)-**सामाजिक सुरक्षा** - में यह प्रावधान किया गया है कि - चूँकि इंदिरा आवास लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले व्यक्ति होते हैं, इसलिए उन्हें स्वत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) या उन राज्यों में राज्य स्तरीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं चलायी जा रही है ।

इसी संदर्भ में माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के संबंध में जिला पदाधिकारियों को संबोधित पत्र की प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न की जा रही है, जिसमें ग्रामीण गरीब परिवारों के कुपोषण, व्यसन, जल की असुविधा की कारणों से बीमारी पर व्यय होने से उन परिवारों का विकास अवरूद्ध हो जाने की व्यवहारिक पक्ष का उल्लेख किया गया है तथा राज्य में चलायी जा रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से इंदिरा आवास के लाभुकों एवं मनरेगा के जॉब कार्ड धारी मजदूरों को जोड़कर स्मार्ट कार्ड बनाने की कार्रवई सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है ।

इंदिरा आवास के लाभुक एवं मनरेगा के जॉब कार्ड धारी मजदूर जो वास्तविक रूप से गरीब होते हैं, को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाना उनके विकास में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा ।

अत: अनुरोध है कि इस संबंध में बिना विलंब किये हुए व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर एवं विशेष अभियान चलाकर तीन माह के समय-सीमा के भीतर सभी इंदिरा आवास के लाभुकों तथा मनरेगा के जॉब कार्ड धारी मजदूरों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का स्मार्ट कार्ड बनवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा इसे मनरेगा एवं इंदिरा आवास के MIS में भी प्रविष्टि सुनिश्चित की जाय ।

यद्दपि माननीय श्रम संसाधन मंत्री के पत्र में योजना में संलग्न किये जाने वाले कार्मिकों की विशेष रूप से चर्चा की गयी है फिर भी आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्रामीण आवास सहायक एवं प्रखण्ड स्तर पर कार्यरत ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी देकर इस कार्य में लगाकर सहयोग प्राप्त करने पर विचार किया जा सकता है ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

1.4.15

(प्रदीप कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 226343 पटना, दिनांक 01/04/15

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

1.4.15

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 226343 पटना, दिनांक 01/04/15

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव 1.4.15

ज्ञापांक 226343 पटना, दिनांक 01/04/15

प्रतिलिपि- आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव 1.4.15

इंदिरा आवास योजना
(आई.ए.वाई.)

दिशा–निर्देश

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली–110114
जून, 2013

6.7 राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण

बड़े राजमिस्त्रियों को ऐसी विभिन्न भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जो स्थानीय रूप से उपयुक्त हों और उनमें लागत कम करने वाले तरीकों का इस्तेमाल किया जाता हो। जहां कहीं व्यवहार्य हो, पर्याप्त प्रशिक्षण के बाद महिला राजमिस्त्री समूहों का गठन किया जाना चाहिए। एस राजमिस्त्रियों और समूहों के नाम और पतों की सूची लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

6.8 तालमेल

(i) शौचालय

सभी आई.ए.वाई. मकानों में निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण अनिवार्य है। राज्य सरकारों को ऐसी निधि प्रवाह प्रणाली स्थापित करनी चाहिए, जिससे इसमें सुविधा हो और उसमें निधि प्रवाह, लेखांकन, रिपोर्टिंग आदि शामिल होंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभार्थी को आई.ए.वाई. एवं एनबीए संघटकों के लिए केवल एक एजेंसी से संपर्क करना पड़े।

(ii) पेयजल

राज्य और केन्द्र सरकार के पेयजल कार्यक्रमों से तालमेल करते हुए सभी आई.ए.वाई. परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किसी एक मकान या मकानों के समूह के लिए मनरेगा योजना के तहत पेयजल कुओं का निर्माण भी किया जा सकता है।

(iii) बिजली

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) या किसी राज्य की अन्य योजना के अंतर्गत बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए और जिन क्षेत्रों में बिजली न हो, वहां सोलर लाइट उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(iv) भूमि विकास

मनरेगा योजना के तहत अलग–अलग लाभार्थियों या बसावटों की भूमि का विकास किया जाएगा। इस योजना का इस्तेमाल मृदा संरक्षण और सुरक्षा, बायोफेन्सिंग, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, खेल के मैदानों के निर्माण इत्यादि के लिए किया जा सकता है।

(v) सामाजिक सुरक्षा

चूंकि आई.ए.वाई. लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति होते हैं, इसलिए उन्हें स्वतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) या उन राज्यों में राज्य स्तरीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है, जिनमें आरएसबीवाई नहीं चलाई जा रही है।

जीवन बीमा निगम गरीबों के लिए जनश्री बीमा और आम आदमी बीमा योजना जैसी बी योजनाएं चला रहा है। आई.ए.वाई. लाभार्थी इनमें से ऐसी किसी भी योजना के अंतर्गत अप नामांकन करा सकते हैं, जो उनके लिए उपयुक्त हो।

(vi) सड़क संपर्क

मनरेगा योजना और सम्बद्ध राज्य योजनाओं के माध्यम से खड़ंजों या सड़कों या सीढ़ियों रूप में सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जा सकता है।

तालमेल स्थापित करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव हर वर्ष जनवरी माह में बैठक आयोजित क सकते हैं जिसमें विभिन्न योजनाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे सभी राज्य स्तरीय विभागों/एजेंसियों को बुलाए जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए तालमेल की कार्य योजना तैयार की सके कि आई.ए.वाई. लाभार्थियों व लिए स्वतः और समकालिक तालमेल हो क्योंकि वे ऐसे परिवार होते हैं जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।

6.9 अतिरिक्त संसाधन जुटाना

आई.ए.वाई. के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि सभी स्थानों पर किसी परिवार के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ मकान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अतः निम्नानुसार अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने की आवश्यकता है :

(i) राज्य सरकार से अनुपूरक अनुदान

राज्य सरकारें अतिरिक्त राशि के रूप में अपने बजट से अनुपूरक अनुदान उपलब्ध कराएंगी। यह विशेष रूप से अ.जा./अ.ज.जा. के लिए प्रासंगिक है जहां एससीएसपी तथा टीएसपी से निधि जुटाई जा सकती है।

(ii) डीआरआई ऋण एकत्र करना

आरबीआई द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 4 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रति परिवार 20,000 रू. तक का ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्य–पद्धति का सुझाव दिया गया है :–

(क) योजना पर चर्चा करने तथा रूपरेखाओं के संबंध में सामूहिक निर्णय लेने के लिए राज्य–स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी) की बैठक आयोजित करना;

(ख) जिला–स्तरीय लक्ष्यों के अनुसार डीएलबीसी को दायित्व सौंपना;

(ग) जिला स्तर पर उनके सेवा क्षेत्र के अनुसार बैंक–वार लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा;

CMI-72995/15

दुलाल चन्द्र गोस्वामी
मंत्री
श्रम संसाधन विभाग
बिहार सरकार, पटना ।

Dulal Chandra Goswami
Minister
Deptt. of Labour Resources
Govt. of Bihar, Patna

संदर्भ : 35

दिनांक : 26-02-2015

Urgent

सभी जिला पदाधिकारी,
(बिहार सरकार)।

आपको विदित होगा कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा गरीबों के लिए चलायी जा रही एक महत्वपूर्ण योजना **"राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना"** है। इस योजना के निहितार्थ से भी आप परिचित ही होंगे। योजना की विशेषताओं के बारे में आप से ज्यादा कुछ हमें नहीं कहना है क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप इसके क्रियान्वयन के सभी पहलूओं से परिचित होंगे ही। इस योजना अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के पाँच सदस्यों **(पति, पत्नी और तीन आश्रित)** को ₹ 30000/– तक का सलाना स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाता है।

आपको यह भी मालूम होगा कि विगत वर्ष में इस योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाने के कारण बिहार की बड़ी आबादी स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने से वंचित रह गया। पूर्व में गरीबी रेखा के नीचे के लगभग 1.67 करोड़ परिवार का स्मार्ट कार्ड बनाया गया किंतु लाभान्वित परिवारों की संख्या 6.55 लाख ही रही। जबकि प्रत्येक स्मार्ट कार्ड धारी लाभुकों के लिए बीमा का प्रीमियम बीमा कम्पनी को दिया गया। अर्थात् हम और आप अधिक से अधिक स्मार्ट कार्डधारी परिवार को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सफल नहीं हो सके। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में प्रत्येक स्मार्ट कार्डधारी परिवार को आपके सहयोग से स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

इस वर्ष **01 मार्च 2015** से पुनः स्मार्ट कार्डधारियों को इस योजना का लाभ दिलाना है। ऐसे में मैं आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारियों के साथ इसकी गहन समीक्षा करें। जिला स्तर पर आपके द्वारा नामित **डी0के0एम0** इस योजना का क्रियान्वयन करा रहे हैं। **डी0के0एम0** का योजना की मार्गदर्शिका से पूर्ण परिचित होना आवश्यक है। इनके कम्प्यूटर पर **आर0एस0बी0वाई0** का सर्वर लोड किया गया होगा। इसे सुनिश्चित कर लेंगे कि इनके साथ **आर0एस0बी0वाई0** कार्य के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर (कार्यकारी सहायक) दक्ष हैं। उसे जानकारी होनी चाहिए कि फील्ड की ऑफिसर (आंगनबाड़ी सेविका या जिसे आपने नामित किया हो) का कार्ड कैसे

कार्यालय :
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना
दूरभाष : 0612-2215474
फैक्स : 0612-2215474
ई-मेल : labourminister.bihar@gmail.com

आवास :
5, सर्कुलर रोड, पटना
दूरभाष : 0612-2215788

दुलाल चन्द्र गोस्वामी
मंत्री
श्रम संसाधन विभाग
बिहार सरकार, पटना ।

Dulal Chandra Goswami
Minister
Deptt. of Labour Resources
Govt. of Bihar, Patna

(7)

संदर्भ : .....

दिनांक : .....

एक्टिवेट होगा। डाटा इन्ट्री के पश्चात् पुनः कैसे डी0 के0 एम0 के कम्प्यूटर पर कार्ड डिस्चार्ज होकर डी0के0एम0 के कम्प्यूटर में सारा डाटा लोड कर देगा। इन तकनीकी पहलूओं की आपके स्तर पर समीक्षा करने की जरूरत है। कार्य के संचालन के लिए विभाग द्वारा आवंटित राशि प्राप्त हो गयी है–इसे भी सुनिश्चित कर लेंगे।

"जीविका" के **डी0पी0एम0** तथा **वी0पी0एम0** की भी सेवा लेने हेतु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका द्वारा सहमति दी गयी है। अतः जिला कोर कमिटि–जिसके आप अध्यक्ष हैं–की बैठक नियमित की जाये तथा उक्त बैठक में अपर समाहर्त्ता, उप विकास आयुक्त जैसे जिला के वरीय पदाधिकारी को रखने के साथ–साथ डी0पी0एम0 को भी रखा जाय। अस्पतालों के सम्बद्धन में सरकारी अस्पताल को भी अवश्य जोड़ा जाय। इससे सरकारी अस्पतालों के मशीन आदि के क्रय के साथ चिकित्सक सहित कर्मियों को मानदेय भी प्राप्त होगा।

समीक्षा के क्रम में हमारे संज्ञान में यह बात भी आयी है कि बहुत से **डी0 के0 एम0** अपनी पूर्ण उर्जा एवं क्षमता के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। कार्ड की समस्या हो या पिन की समस्या या बीमा कम्पनी के अधिकारियों के साथ समन्वय, को शीघ्र निष्पादन करने में सफल नहीं हो रहे हैं। जिन जिलों में कार्ड बनना शुरू नहीं हुए हैं वहाँ के जिलाधिकारी के लिए तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है ही जहाँ कार्य शुरू हुए हैं वहाँ भी सतत समीक्षा की जरूरत है।

आप अवगत है कि **"कल्याणकारी राज्य"** की अवधारणा में बहुत सी कल्याणकारी योजनाएँ गरीबों के लिए चलाई गयी हैं। इन योजनाओं का लाभ गरीबी रेखा के नीचे के वर्गों तक तभी पहुंचेगा जब लाभार्थी तथा उनका परिवार स्वस्थ हो। **"इंदिरा आवास"** के तहत बहुत से घर इसलिए लंबित हैं कि अग्रिम की राशि का व्यय बीमारी पर कर दिया गया। कुपोषण, व्यसन, जल की अशुद्धता जैसे कई कारण हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवार को गरीबी रेखा के उपर उठने में बाधक बनते हैं। क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराकर एवं स्मार्ट कार्ड बनाकर हम इस कमी को दूर नहीं कर सकते हैं ?

कार्यालय :
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना
दूरभाष : 0612-2215474
फैक्स : 0612-2215474
ई-मेल : labourminister.bihar@gmail.com

आवास :
5, सर्कुलर रोड, पटना
दूरभाष : 0612-2215788

दुलाल चन्द्र गोस्वामी
मंत्री
श्रम संसाधन विभाग
बिहार सरकार, पटना ।

Dulal Chandra Goswami
Minister
Deptt. of Labour Resources
Govt. of Bihar, Patna

(2)

संदर्भ : .... दिनांक : ....

ग्रामीण विकास की **"इंदिरा आवास योजना"** के लाभान्वित या मनरेगा के जॉब कार्ड धारी मजदूरों को स्मार्ट कार्ड बन गया है–इसे सुनिश्चित करना होगा। इंदिरा आवास के एम0आई0एस0 में परिवार को बीमा योजना का लाभ दिया गया है इसकी प्रविष्टि कराकर पूरे भारत में यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि हम उन्हें हर तरह से लाभान्वित करा रहे हैं। **बीड़ी मजदूर हो, या घरेलू कामगार हो, या रिक्शा चालक हो, या मेण्डर हो** इसका लाभ सभी को मिले इसके लिए आपसे सार्थक प्रयास के साथ–साथ ठोस निगरानी (monitoring) की हम अपेक्षा करते हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी हर विभाग के कार्यो की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके कुशल नेतृत्व में **"राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना"** का भी कार्य त्वरित गति से होगा।

हम अगले माह से स्वयं एवं अपने राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को भेजकर क्षेत्र में किए जा रहे कार्यो का मूल्यांकन करेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु आप सार्थक प्रयास करेंगे।

शुभकामनाओं के साथ।

ह0/–
(दुलाल चन्द्र गोस्वामी)
मंत्री
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– दिनांकः–

प्रतिलिपिः– **सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।**

26.02.2015
मंत्री
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

कार्यालय :
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना
दूरभाष : 0612-2215474
फैक्स : 0612-2215474
ई-मेल : labourminister.bihar@gmail.com

आवास :
5, सर्कुलर रोड, पटना
दूरभाष : 0612-2215788

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

बीपीएल परिवार के लिए एक अनूठी बीमा योजना

इस सरकारी योजना के अंतर्गत केवल रू० 30 देकर आप करवा सकते हैं, परिवार के पांच सदस्यों का स्वास्थ्य बीमा और आपके परिवार को मिलेगा रू० 30,000 तक का मुफ्त इलाज सरकारी अथवा निजी पंजीकृत नेटवर्क अस्पतालों में।

योजना की जानकारी

- यह योजना सरकार द्वारा प्राप्त सूची के अनुसार बी0 पी0एल0 परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है।
- परिवार के पांच लोगों (पति, पत्नी और तीन आश्रित) को मिलेगा रू० 30,000 तक का सालाना स्वास्थ्य बीमा
- आउट पेशेंट केस में वीवर व आर्टीषन के लिए बीमित राशि सलाना रू० 7500/— तक का प्रावधान
- पूर्व विद्यमान सभी बीमारियों इस बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल रहेगी
- बीमा योजाना में शामिल लगभग सभी बीमारियों का इलाज बिना कोई नकद भुगतान का होगा
- प्रसुति व नवजात शिशु का उपचार खर्च भी शामिल है।
- अस्पताल से आने जाने का खर्च भी दिया जाएगा (अधिकतम रू० 100 प्रति दौरा), इसकी अधिकतम सीमा एक वर्ष में रू० 1000 है
- प्राधिकृत अस्पताल में भर्ती से 1 दिन पूर्व और अस्पताल से छूट्टी के 5 दिनों तक का दवा अस्पताल के द्वारा मुफ्त दिया जायेगा
- खून की जाँच, एक्सरे, पैथोलोजी, अल्ट्रासाउण्ड इत्यादि जाँचों की नि:शुल्क सुविधा
- भर्ती न होने की दशा में सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा परामर्श मुफ्त एवं रियायती दर पर दवा तथा जाँच की सुविधा।
- शल्य उपचार संबंधी सिर्फ दिन भर के लिए स्वास्थ्य सेवा भी ली जा सकती है।
- अस्पताल के द्वारा मरीज को भर्ती रहने तक मुफ्त भोजन उपजब्ध करवाया जायेगा

स्मार्ट कार्ट

- प्रत्येक बीपीएल परिवार को 'चिप' लगा एक प्लास्टिक कार्ड दिया जायेगा। इसमें परिवार के सदस्यों की बायोमेट्रिक्स समेत पूरी जानकारी रिकार्ड होगी। पॉलिसी कवर का भी विवरण होगा। योजना के तहत सेवा लेने के लिए बीमित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य को इस कार्ड के साथ नेटवर्क अस्पताल जाना आवश्यक है।
- स्मार्ट कार्ड के लिए एक बार रू० 30 का पंजीकरण भुगतान करना होगा। इस हेतु बीमा कम्पनी के द्वारा पंचायत/ गाँव स्तर पर कैम्पों में स्मार्ट कार्ड दिया जायेगा।
- कार्ड खो जाने या खराब हो जाने पर लाभार्थी बीमा कम्पनी द्वारा बनाए गए जिला कियोस्क जाकर 100रू० का भुगतान कर नया कार्ड बनवा सकता है।
- स्मार्ट कार्ड को सुरक्षित रखें।
- अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में, कृपया अपने स्मार्ट कार्ड साथ नेटवर्क अस्पताल जायें।
- हेल्पडेस्क (सहायता) केन्द्र पद स्मार्ट कार्ड दिखायें
- हेल्पडेस्क से प्राप्त सुझाव के अनुसार आगे बढ़े।
- अस्पताल से छूट्टी के समय कृपया हेल्पडेस्क के पास पहुंच कर यदि कोई बकाया राशि हो तो भुगतान कर दें।
- स्मार्ट कार्ड के उपयोग संबंधी किसी अन्य जानकारी/ स्पष्टीकरण के लिए कॉल सेंटर पर कॉल करने की सुविधा।